

राजस्थान सरकार  
निदेशालय,समेकित बाल विकास सेवाएँ  
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

कमांक: एफ4(1)(309) पोषाहार/आईसीडीएस/2020-21 जयपुर, दिनांक: 27.04.2020

उपनिदेशक,  
महिला एवं बाल विकास विभाग,  
समस्त।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,  
समेकित बाल विकास सेवाएँ,  
समस्त।

**विषय:** पूरक पोषाहार के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नैफेड) से उठाव करते हुए राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा राशन डीलर को दी जाने चना दाल के आंगनबाड़ी केंद्रों में निर्धारित पंजीकृत लाभार्थियों के लिए आवंटन के सम्बन्ध में

**संदर्भ:** विभागीय समसंख्यक आदेश कमांक एफ4(1)(309) पोषाहार/आईसीडीएस/2020-21 2360-396 दिनांक 24.04.2020 के क्रम में

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा कोरोना (COVID-19) वायरस के आसन्न संकट को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के पूरक पोषाहार संबंधी प्रावधानों की पालना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत समस्त इच्छुक लाभार्थियों को टेक होम राशन के रूप में साबुत खाद्य सामग्री के उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नैफेड) से चना दाल लेकर राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा राशन डीलर को दिया जाएगा।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा राशन डीलर को दी जाने वाली चना दाल को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रवार निर्धारित मात्रा में उठाव कर लाभार्थियों को वितरित किये जाने हेतु संलग्न सूची अनुसार आवंटित किया जाता है।

निदेशक,  
समेकित बाल विकास सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर।

कमांक: एफ4(1)(309) पोषाहार/आईसीडीएस/2020-21 जयपुर, दिनांक: 27.04.2020


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, जयपुर (3) निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय ।

5. एनालिस्ट कम प्रोगामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

6. रक्षित पत्रावली ।

  
अतिरिक्त निदेशक (पो.)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर